कुमारी प्रीति

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स एकलव्य स्टोन एंड माइन्स प्रा. लिमिटेड, श्रीमति निधि कुमारी और श्रीमति कुमारी प्रीति, ग्राम–पथरा इंग्लिश, पोस्ट–ओढ़नपुर, पी.एस.–मुफ्फसिल, जिला–नवादा द्वारा पटना सोन–04 बालू घाट, मौजा–उदयपुर, अंचल–पालीगंज, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 12.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे पटना जिला के अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2373/2023, dated 03.05.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 12.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 11.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (290 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

प्री

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री चन्द्रभूषण कुमार, ग्राम–उदयपुर, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खनन के दौरान परिवहन से बहुत धूल उड़ता है। पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 3 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। 290 पेड़ लगाये जायेंगे। अगर आम जनता अपना रैयत जमीन पर पेड़ लगाने के इच्छुक रहेंगे तो उनको भी निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराये जायेंगे।
2.	श्री आनंदी प्रसाद गुप्ता, ग्राम–उदयपुर, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि हमलोग का गाँव मजदूर, पिछड़ा एवं हरिजन का है। बालू खनन के दौरान रहने की उचित व्यवस्था एवं पीने का पानी का उचित व्यवस्था होना चाहिए।
3.	श्री संधीर कुमार, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि स्कूल जाने वक्त बच्चों को ट्रक के जाम के कारण स्कूल जाने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है और स्कूल छूट्टी हो जाने पर भी जाम का सामना करना पड़ता है। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि स्कूल जाने के समय एवं छूट्टी के समय बालू परिवहन को रोक दिया जाय।
4.	श्री जयप्रकाश शर्मा, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। उससे स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं होता है। जबकि 2% राशि प्रभावित क्षेत्र के

		विकास के लिए संचिका की जाती है। खनन निरीक्षक, पटना द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।
5.	श्री रंजन कुमार, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि इस खनन परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण होना चाहिए। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 290 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरझा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख–रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा। अगर आम जनता अपना रैयत जमीन पर पेड़ लगाने के इच्छुक रहेंगे तो उनको भी निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराये जायेंगे।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

21.8.23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर जिला दण्डाधिकारी,
पटना

उपस्थिति सूचि

मेसर्स एकलव्य स्टोन एंड माइन्स प्रा. लिमिटेड, श्रीमति निधि कुमारी और कुमारी प्रीति द्वारा पटना सोन –04 बालू घाट, मौजा–उदयपुर, अंचल–पालीगंज, जिला–पटना में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–अंचल कार्यालय, पालीगंज   दिनांक 12.08.2023   समय–03:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अविनाश रंजन	अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना	[illegible]
2.	आशीष कुमार गुप्ता	प्र० पदा० वि०टा०गु०नि० पवि पटना	आ 12-8-23
3.	सैयद फरहीन	जिला खनन कार्यालय, पटना	Farheen 12-08-23
4.	Nitish Kumar	P&M Solution, Noida Env. Consultant	Nitish Kr
5.	Brijkishore Mishra	Environment Consultant	B.K. Mishra 12/08/23
6.	Chandan Kr Gupta	H/O Eklavya Stone Mines,	[illegible]
7.	Abhishek Kumar	C/O-Eklavaya Stone & Mines	[illegible]
8.	आनन्द प्रसाद गुप्ता	उदयपुर	[illegible]
9.	[illegible] कुमार	उदयपुर	[illegible]
10	Gautam Kr	AMHARA	GK
11	Jay Sharma	Udaypur	[illegible]
12	Arvind Kumar	Udaypur	[illegible]
13	Abhishek Kumar	Udaypur	[illegible]
14	उमा प्रकाश कुमार	मसौढ़ा	
15	Pawan Kumar	C/O-Eklavya Stone & Mines Ltd	[illegible]

16	चन्द्रकान्त कुमार	उदयपुर	चन्द्रकान्त
17	रणविजय सिंह	मसौढ़ा	रणविजय सिंह
18	सुधीर कुमार	मसौढ़ा	सुधीर कुमार
19	संजय पासवान	मसौढ़ा	संजय पासवान
20	Pawan Kumar	Masaurha	Pawan Kum
21	Ashutosh - Ran.	Masaurha	Ashutosh Ranj
22	लव कुमार	मसौढ़ा	लव कुमार
23	रंजीत कुमार	उदयपुर	रंजीत कुमार
24	सरोज पासवान	मसौढ़ा	सरोज पासवान
25	चन्द्र कान्त कुमार	मसौढ़ा	चन्द्र कान्त कुमार
26	नीतीश पासवान	मसौढ़ा	नीतीश पासवान
27	अतुल कुमार	मसौढ़ा	अतुल कुमार
28	अमित कुमार	उदयपुर	Amit Kumar.
29			
30			
31			
32			
33			
34			